कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) का कार्यालय

सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, बौंसी

(Email- EEIMDBAUNSI@GMAIL.COM)

पत्रांक :– 551 बौंसी, दिनांक :– 19/06/2026

सेवा में,

जन संपर्क पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग,
सिंचाई भवन, पटना।

विषय:- अल्पकालीन ई–पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–05/2026–27 के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस कार्यालय द्वारा अल्पकालीन ई–पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–05/2026–27 आमंत्रित की गयी है।

कृपया बिहार राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर से प्रकाशित होने वाले दैनिक सामाचार पत्र अंग्रेजी एवं हिंदी संस्करण में प्रकाशन हेतु हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में अल्पकालीन ई–पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–05/2026–27 तथा नियमों एवं शर्तों की विवरणी समर्पित की जाती है।

अनुरोध है कि इसे बिहार राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों तथा www.prdbihar.gov.in एवं **wrd.bihar.gov.in** पर भी अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०– यथावत्।

विश्वासभाजन

19.06.2026

(इं0 धीरेन्द्र कुमार)
कार्यपालक अभियंता
सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, बौंसी

19/6/26

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, बौंसी
Email Id- EEIMDBAUNSI@GMAIL.COM

अल्पकालीन ई– पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या :– 05/2026–27

केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट– https://eproc2.bihar.gov.in/ पर)

1. ई– पुनर्निविदा आमंत्रित करने की तिथि :– दिनांक 19.06.2026 ।
2. ई– पुनर्निविदा आमंत्रण करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :– इं0 धीरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, बौंसी।
3. निविदा कागजात डाउनलोड/अपलोड करने की तिथि, समय एवं स्थान :– दिनांक 30.06.2026 से दिनांक 04.07.2026 (3:00 PM) तक। (Only On Website - https://eproc2.bihar.gov.in/)
4. प्री– बीड मिटींग की तिथि, समय एवं स्थान :– दिनांक 01.07.2026 (AT 2:00 PM) अधीक्षण अभियंता (यॉ0) सिंचाई यॉत्रिक अंचल, मीठापुर, पटना के कार्यालय में।
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि, समय एवं स्थान :– दिनांक 06.07.2026 (AT 3:30 PM) (Only On Website - https://eproc2.bihar.gov.in/)
7. वित्तीय निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– सक्षम पदाधिकारी द्वारा तकनीकी बीड की स्वीकृति के पश्चात् अलग से सूचना दी जायेगी।
8. निविदा वैधता की समय–सीमा :– 120 दिन।
9. कार्य का विवरण :–

क्रम सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपये में)	अग्रधन की राशि @2% (रुपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (नहीं लौटाने योग्य)	बेल्ट्रॉन को देय प्रोसेसिंग फीस (अप्रत्यपर्णीय) (केवल ऑन लाईन मोड में)	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	Annual maintenance (Oilling & Greasing), overhauling, p.c.c.work, platform, Rubber seal, vent cleaning, Painting, partial civil work and Hoisting system etc. of Anti Flood Sluice Gate situated at Simariya- Gorgama Embankment under Flood Control Division, Bounsi (Banka). And Running of Mechanical Ambulance during Flood period.	**21,16,848.00**	**42,400.00**	**5,000.00**	**As applicable**	**31-10-2026**

10. निविदा के नियमों/शर्तों एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु Website - https://eproc2.bihar.gov.in/ एवं www.prd.bihar.gov.in /prdbihar पर देखा जा सकता है।

19.06.2026

(इं0 धीरेन्द्र कुमार)
कार्यपालक अभियंता
सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, बौंसी
मो0 न0– 8448258517

19/6/26

नियम एवं शर्तें

1. ई0–टेण्डरिंग की प्रकिया में भाग लेने हेतु निविदादाताओं को चतुर्थ श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिससे की उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID), पासवार्ड (Password) अंकिय हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाईट *(www.eproc2.bihar.gov.in)* से डाउनलोड करने/ई0–टेन्डरिग में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।

2. ई0–टेण्डरिंग मात्र (*www.eproc2.bihar.gov.in*) पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।

3. विशेष जानकारी के लिए वेबसाईट (*www.eproc2.bihar.gov.in*) एवं (*www.prdbihargov.in*) पर देखा जा सकता है।

4. (क) E- Tendering/ E- procurement के तहत निविदा हेतु बीड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान Online Mode (E- payment Mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit / Debit Card), Net Banking , NEFT / RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

   (ख) E- Tendering/ E- procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रुप में जमा की जाने वाली राशि Online Mode (E- payment Mode) अथवा Physical Mode/Manual payment system में स्वीकार होगा Online Mode के तहत अग्रधन की राशि Internet payment gateway (Credit/ debit card) Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है। Physical Mode/manual payment system के तहत मात्र बिना शर्त बाली Bank Guarantee जो बीड के मान्य अवधि (Bid validity+45 days) तक के लिए बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से **कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, बौंसी** अथवा **Executive Engineer, Irrigation Mechanical Division, Baunsi** के पक्ष में निर्गत हो (अगर बिहार परान्त के बाहर के बैंक से निर्गत Bank Guarantee दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना होगा) अग्रधन के रूप में उक्त वर्णित बैंक गारंटी निविदा निर्गत की तिथि एवं निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि के बीच निर्गत होना चाहिए। ऐसा नही होने पर निविदा मान्य नही होगा।

5. Bids along with necessary online payments must be submitted through E- procurement portal *www.eproc2.bihar.gov.in* within the date and time specified in the e-N.I.T. The department does not take any responsibilities for the delay/non submission of tender/ non reconciliation of online payment caused due to non-availability of internet connection, network traffic/ holidays or any other reason.

6. BSEDC Processing fee and tender documents fee /BOQ fee has to be paid through e-payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode.

7. Tenderer can access tender documents on the above-mentioned website, fill them and submit the complete tender documents as electronic tender on the website itself only. Bidders /tenderers shall attach scanned copies of all papers, i.e. earnest money and the certificates as required in Eligibility criteria.

8. Corrigendum / addendum / correction if any will be published on the website only. the undersigned reserve the right to cancel the bid without any prior information or assigning any reason.

9. The tenderer should list up serial no. of scanned documents before uploading so that the particular documents may be located soon on the basis of serial no/page no. all documents must be uploaded pdf, MS office (compatibility mode), jpeg, zip format claims will not be entertained if uploaded documents were not able to download/open the other format.

10. The tenderer should be fully satisfied of download ability /visibility of scanned uploaded documents.

11. No claim shall be entertained on account of disruption of internet service being use by tenderer. Tenderers are advised to upload their bids well in advance to avoid last minute technical snags.

12. In the unlikely event of the server for _www.eproc2.bihar.gov.in_ being down for more than two consecutive hours in the period from 12 o'clock(night) to closing time of receipt of contract on the last date of receiving of bid, the last date of the same automatically be extended to next working days till the last receiving time stipulated in the original e-N.I.T.

13. कार्य की प्राक्कलित राशि घट/बढ़ सकती है। परिमाण विपत्र में अंकित राशि के आधार पर अग्रधन की राशि एवं निविदा संलेख का मूल्य देय होगा।

14. निविदादाता को सदृश्य यॉत्रिक कार्यो के लिए लघु उधोग ईकाई (Udhyog/Udyam Aadhar) में निबंधन में निबंधित होना आवश्यक है। निविदा के साथ अधतन Udhyog/Udyam Aadhar संलग्न करना अनिवार्य है।

15. निविदादाता के कर्मशाला में कार्य के अनुरूप उचित क्षमता का डीजल जेनेरेटिंग सेट, वेल्डिंग मशीन एवं यंत्र–संयत्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

16. निविदादाता को कर्मशाला का फैक्ट्री लाइसेंस, जो फर्म या फर्म के मालिक के नाम से हो, निविदा के साथ में संल्गन करना होगा।

17. निविदा के साथ निविदादाताओं की यॉत्रिक कार्य संपादन हेतु कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक)/अधीक्षण अभियंता (यॉत्रिक)/मुख्य अभियंता (यॉत्रिक), जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा निर्गत कर्मशाला का प्रमाण पत्र, स्थान उपलब्ध मशीनों एवं तकनीकी कर्मियों की सूची संलग्न करना होगा, कर्मशाला प्रमाण पत्र की वैधता प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक ही मान्य होगा।

18. निविदादाता को स्थानीय चतुर्थ श्रेणी में बाँका जिला अन्तर्गत पंजीकृत/निबंधित होना अनिवार्य होगा।

19. निविदादाताओं को पूर्व के संपादित कार्य भी नये कार्य आवंटन के लिए एक आधार होगा।

20. प्रभारी अभियंता के निदेशानुसार एवं विशिष्टियों के अनुरूप संवेदक को कार्य करना होगा।

21. निविदा निष्पादन के दौरान वैसे निविदाकारों को कार्य आवंटन से वंचित रखा जायेगा जिस के विरूद्ध विभाग में कालीकरण की कार्रवाई की जा रही हो अथवा कार्य–कलाप संदेहास्पद हो।

22. जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा उन्हें तत्काल एकरारनामा कर कार्यादेश प्राप्त कर कार्य आरम्भ कर देना होगा। अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

23. निविदा की अन्य शर्त्त परिमाण विपत्र में संलग्न रहेगी जो मान्य होगा।

24. निविदादाताओं का दायित्व होगा कि निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्रकृति एवं कार्य सम्पादन में आने वाली कठिनाईयों से स्वयं अवगत हो ले एकरारनामा सम्पादित कर लेने के बाद किसी कारण से कार्य सम्पादन में असमर्थ रहने वाले संवेदक नियमानुकूल दण्डात्मक कार्रवाई के भागी होंगे।

25. कार्य के पूर्ण होने तक सामाग्रियों की सुरक्षा एवं भंडारण आदि की व्यवस्था का दायित्व संवेदक का होगा। कार्यस्थल पर कार्य पूर्ण होने के उपरांत अनिवार्य रूप से तीन दिनों के अंदर प्रमंडल कर्मशाला में जमा करना होगा, तदोपरांत ही विपत्र पारित करने की कार्रवाई की जायेगी।

26. जी0एस0टी0, आयकर एवं सेस की कटौती नियमानुसार संवेदक के विपत्र से ही की जायेगी।

27. सशर्त्त निविदा मान्य नहीं होगा।

28. बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक निविदा को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। रद्द किये गये निविदा के लिए किसी प्रकार का स्पष्टीकरण बताने हेतु निर्णय लेने वाले पदाधिकारी बाध्य नहीं होंगे।

29. सफल निविदादाताओं को कार्य आवंटन के उपरान्त एकरारनामा के समय स्वीकृत निविदा राशि के 3% (तीन प्रतिशत) जमानत की राशि राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवॉ निगर्म) या राश्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत सावधि जमा जो विधिवत अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिज्ञित हो, जमा करना होगा। 5% (पाँच प्रतिशत) की राशि जमानत राशि के रूप में विपत्र से काट ली जायेगी। जो कार्य पूर्ण होने एवं सभी पहलुओं को जॉच करने के उपरान्त वापस कर दी जायेगी।

30. निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्यों को कर देना निविदादाताओं के लिए वाध्यकारी होगा। किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति में समय वृद्धि की स्वीकृति मुख्य अभियंता (यॉ0) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दी जा सकेगी। कार्य सम्पादन में विलम्ब के कारण भुगतान में होनेवाली कठिनाई के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेवार होंगे।

31. कार्य का एकरारनामा एफ0 2 (कंडिका–23 को विलोपित) पर किया जायेगा।

32. श्रमिक कल्याण निधि मद में लेबर सेस 1% प्रतिशत दर की कटौती की जायगी।

33. लौह सामाग्रियों ख्याति प्राप्त निर्माता यथा (SAIL / TATA /SHYAM STEEL INDUSTRIES LTD. / RINL) कम्पनी / प्राधिकृत विकेता से कय कर उपयोग करना होगा। सामाग्रियाँ निर्माता से निर्मित एवं अधिकृत बिकेता से खरीदी गई है, मॉगे जाने पर संवेदक को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

34. निम्न आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। " I the undersigned do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as blacklisting."

35. एक से अधिक निविदादाता के द्वारा समान न्यूनतम दर उद्धृत किये जाने की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार निर्माण संहिता के नियम–163 के प्रावधान के आलोक में लौटरी के माध्यम से किया जायगा।

36. विभागीय पत्रांक 124 दिनांक 04.02.2021 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में संवेदको को जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

37. निविदादाताओं द्वारा परिमाण विपत्र के दर से कम दर उद्धृत करने पर पथ निर्माण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 447 (S) दिनांक 16.01.2020 सह पठित ज्ञापांक 448 (S) दिनांक 16.01.2020 तथा विभागीय पत्रांक 50 दिनांक 20.01.2020 के क्रम में अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Gurantee) जमा करना होगा।

38. संवेदक/एजेंसी के विपत्र से 10 (दस) प्रतिशत की राशि कटौती की जायगी, जिसका अंतिम भुगतान संबंधित असैनिक प्रमंडल के प्रभारी कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य संतोषप्रद होने का सम्पुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा।

39. विभाग द्वारा आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त ही कराये गए कार्य का भुगतान किया जायेगा।

40. (a) संवेदक को Mechanical Ambulance हेतु Commercial Vehicle उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(b) Commercial Vehicle के चालक का कार्य समाप्ति (31.10.2026) तक Driving License वैध होना आवश्यक है।

(c) वाहन बाढ़ अवधि में कुल 90 दिनों तक आवश्यकतानुसार उपयोग में लिया जाएगा। वाहन में भरे हुए Oxygen cylinder, LPG cylinder, DG set, Welding machine, Gas cutting machine, Grease, Mobil, Nylon Ropes, Chain Pulley, कम से कम 50 लीटर डीजल इत्यादि रखना अति आवश्यक होगा ताकि आवश्यकतानुसार ससमय गेटों की मरम्मति/बाढ़ निरोधक कार्य किया जा सके।

(d) वाहन में लोग बुक रखना अनिवार्य होगा।

(e) संवेदक आवश्यकता पड़ने पर वाहन की मरम्मति तुरंत स्वयं के खर्च पर करना सुनिश्चित करेंगे।

19.06.2026

(इं० धीरेन्द्र कुमार)
कार्यपालक अभियंता
सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, बौंसी

19/6/26